>

Title: Issue regarding citizenship of people from West Pakistan.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति जी, आपने मुझे एक गम्भीर मसले पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि 1957 में हिन्दुस्तान-पाकिस्तान जब दो मुल्क बने तो हमारे यहां पीओके के लोग, वैस्ट पाकिस्तानी हिन्दुस्तान में कई जगहों पर आए और देश के कोने-कोने में आकर बस गए। कई लोग जम्मू-कश्मीर में लखनपुर आकर सैटल हो गए। वहां उन्हें जमीन मिली, उनके बच्चों को स्कूल की सुविधा मिली, बिजनेस मिला और रोजगार भी मिला। लेकिन जो लोग जम्मू और दूसरी जगहों में आकर सैटल होना चाहते थे, उन वैस्ट पाकिस्तानियों माना गया और इंडियन नहीं माना गया। उनके लिए न तो रहने का इंतजाम हुआ, न उन्हें जमीन मिली, न उन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत मकान मिले और न ही उनके बच्चों को एजुकेशन मिली। इसके साथ ही उन्हें कोई और अधिकार भी नहीं मिला, वे लोग न तो पंचायत के चुनाव में वोट डाल सकते हैं और न ही विधान सभा के चुनाव में। केवल लोक सभा चुनाव में वोट डालने का उन्हें अधिकार मिला है। यह विषय इन्सानियत का है। करीब 80,000 लोग, जिनकी तीन जेनरेशन हो चुकी हैं यहां आए हुए, उन गरीबों के साथ कोई न्याय नहीं हुआ है। उन्हें जम्मू-कश्मीर से उठाकर यहां लाया जाए और सैटल किया जाए या फिर जम्मू-कश्मीर सरकार पर दबाव डाला जाए कि उन्हें वहां सैटल किया जाए और बसाया जाए तथा उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएं, उन्हें मानवीयता का दर्जा दिया जाए।